न्यायालय नायब तहसीलदार बयाना (भरतपुर)

प्र0स0.107/19.. ता0रजु. 19.11.19. किस्म मुकदमा 91 एलआर एक्ट निर्णय दिनांक..............

सरकार

बनाम

महाराज सिंह पुत्र उमराव

पत्रावली आज पेश हुई। पटवारी हल्का कपूरा मल्लका ने एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की है कि ग्राम कपूरा मल्लका के खसरा नम्बर 1307 रकबा 1.51 हैक्ट. किस्म भूमि गै.मु. रास्ता पर सम्बत 2076 में श्री महाराज सिंह S/o उमराव ग्राम कपूरा तह0 बयाना ने 0.08 अतिक्रमण कर लिया है।

हल्का पटवारी रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण 91 एलआरएक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। जो नोटिस के सन्दर्भ में गैर सायल द्वारा उपस्थित होकर जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। गैर सायल द्वारा उपने जबाब में स्वंय का अतिक्रमण नहीं होना अंकित करते हुये पुन: जांच कराने का प्रार्थना की है। प्रकरण में भू.अ.निरी. से पुनः जांच कराई गई। भू.अ.निरी. द्वारा अपनी पुनः जांच रिपोर्ट दिनांक 13.01.2020 में अतिक्रमी का अतिक्रमण होना अंकित किया गया। गैरसायल द्वारा प्रस्तुत जबाब भू.अ.निरी. की जांच रिपोर्ट एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरान्त इस निष्कर्ष पर पंहुचता है। कि अप्रार्थी के विरुद्व न्यायिक कार्यवाही अमल में लायी जाना आवश्यक है। अतिक्रमी को अतिक्रमित आराजी से बेदखल करना राज्यहित में आवश्यक है।

अतः आदेश है कि अतिक्रमी के विरुद्व न्यायिक कार्यवाही कर अतिक्रमित खसरा नम्बर 1307 रकबा 0.008 हैक्ट. वाके ग्राम कपूरा मल्लका से बेदखल किया जाता है। लगान 0.32 का 50 गुणा पैनल्टी राशि 16/- रूपये से दण्डित किया जाता है। पैनल्टी की मांग कायमी टी.आर.ए. हाजा से कराई जावे। पैनल्टी वसूली खंडी करना/ को कब्जेराज लेकर मर्द नीलामी/ अदम कब्जा/ बेदखली बाबत हल्का पटवारी/ गिरदावर को आदेश जारी हो।

पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद तकमील नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय दिनांक.............. को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
बयाना